न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

29/8/24

मु0न0:– 37/2020

उनवानः– प्रेमदेवी बनाम नेमी वगै0

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष वकील उपस्थित, सायला वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी ख0न0 2525 रकवा 1.26 है0 मे सायला सम्पूर्ण हिस्से की खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिससे गैरसायलान का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। गैरसायलान आये दिन सायल को काश्त करने मे बाधा पैदा करते रहते है तथा झगडा करने पर आमदा हो जाते है। तथा बेबुनियाद व झूठा आरोप लगाते है। तथा सायला को उनके कब्जे व काश्त की भूमि पर बेदखल करने पर आमदा है। सायल का प्राईमाफेसी केस सायलान के पक्ष मे साबित है अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.07.2020 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जावे।

गैरसायलान वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वर्णित आराजीयात के संबध मे सायला ने समस्त तथ्य मनगढंत व कपोल कल्पित पेश किये है बल्कि सही बात तो यह है कि सायला के पति सुवालाल ने गैरसायलान के पिता नारायण से विवादित आराजी को 25000/– मे गिरवी रखा तथा ब्याज बंद रहेगा लिखापढी गैरसायलान की बही मे की गई है तथा उस पर सायल के पति सुवालाल के हस्ताक्षर है। वर्णित आराजीयात पर गैरसायलान के पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उसके बाद गैरसायलान से 40000/– नगद उधार लेकर बही मे विक्रय कर लिखा पढी की जिस पर भी सायला के पति सुवालाल के हस्ताक्षर है। सायला के पिता की मृत्यु हो गई। सुवालाल ने उक्त रकम को अदा नही है। तथा गैरसायलान के पिता की भी मृत्यु हो चुकी है। सायला का 30 वर्षो से कब्जा नही है। गैरसायलान का कब्जा है इसलिये कब्जे के अभाव मे उसे अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार नही की जा सकती है। अतः सायला का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता न0 290 मे आराजी ख0न0 2525 रकवा 1.26 है0 मे सम्पूर्ण हिस्से की खातेदार दर्ज रिकार्ड है। तथा जमाबन्दी अनुसार गैरसायलान का आराजीयात से कोई संबध किसी प्रकार का नही है। गैरसायलान ने अपने जबाब व बहस मे वर्णित आराजीयात को रहन रखने का कथन किया है लेकिन गैरसायलान द्वारा रहन बावत अथवा कब्जे बावत पत्रावली मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है। उक्त विवेचन अनुसार प्राईमाफेसी केस सायला के पक्ष मे साबित होने से न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.07.2020 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है। अर्थात गैरसायलान को ता दावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि ग्राम कमालपुरा की आराजी ख0न0 2525 रकवा 1.26 है0 मे सायला के कब्जकाश्त की आरजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी